रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 292] नई दिल्ली, मंगलवार, 21 मई, 1996/वैशाख 31, 1918

No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, 21 MAY, 1996/VAISAKHA 31, 1918

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का.आ. 356(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

फरवरी, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य में 48-नेहरू नगर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) का निर्वाचन, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) धारा 123 के खंड (3) और खंड (3क) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 23 अप्रैल, 1991 को अपास्त कर दिया गया था ;

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई थी और उस न्यायालय ने तारीख 7 अगस्त, 1991 के अंतरिम आदेश द्वारा, तारीख 23 अप्रैल, 1991 के उच्च न्यायालय के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी थी ;

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 11 दिसम्बर, 1995 को अपील खारिज कर दी ;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसरण में इस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (उपाबंध देखिए) कि निर्वाचित अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किए जाने के संबंध में छह वर्ष की अवधि के लिए, जिसकी संगणना तारीख 11 दिसम्बर, 1995 अर्थात्, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी, निरर्हित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को तारीख 11 दिसम्बर, 1995 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए ।

भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

गणपूर्ति :

जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति — निर्वाचन आयुक्त
टी. एन. शेषन — मुख्य निर्वाचन आयुक्त
डा. एम. एस. गिल — निर्वाचन आयुक्त

1996 का निर्देश मामला सं. 2 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश)

संदर्भ : श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक, महाराष्ट्र विधान सभा का सदस्य, की निरर्हता ।

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (संक्षेप में "1951-अधिनियम") धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त इस निर्देश में, इस प्रश्न पर कि क्या श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक, महाराष्ट्र विधान सभा का सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए किया जाए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. संक्षेप में, सुसंगत तथ्य निम्नलिखित हैं :--

(i) श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक, फरवरी, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन में 48-नेहरू नगर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे ।

(ii) उनके निर्वाचन को एक प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी श्रीमती सरोज संदेश नाइक (भोसले) द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 की निर्वाचन अर्जी सं. 14 में चुनौती दी गई थी । मुंबई उच्च न्यायालय ने, तारीख 23-4-1991 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा, श्री महाडिक को धर्म के आधार पर अपील करने और भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाएं उद्दीप्त करने के लिए 1951-अधिनियम की धारा 123(3) और धारा 123(3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया । इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने श्री महाडिक का निर्वाचन अपास्त कर दिया ।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने, अपील किए जाने पर 1991 की सिविल अपील सं. 2453 में तारीख 7-8-1991 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर निम्नलिखित शब्दों में सापेक्ष रोक लगा दी :--

"(हम) निदेश देते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष अपील के लम्बित रहने तक, अपीलार्थी को उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिससे कि वे जब सदन सत्र में हो, लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने के कारण सदन के नियमों के अधीन निरर्हित न हो जाएं, किन्तु उन्हें सदस्य के रूप में न तो विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा न ही मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और वह किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे ।"

(iv) उच्चतम न्यायालय ने, तारीख 11-12-1995 के अपने अन्तिम आदेश द्वारा, श्री महाडिक की अपील खारिज कर दी । उच्चतम न्यायालय ने केवल धारा 123(3) के अधीन धर्म के आधार पर अपील करने के भ्रष्ट आचरण के प्रश्न पर विचार किया और शेष मुद्दों और श्री महाडिक के विरुद्ध ऐसे अभिकथित अन्य भ्रष्ट आचरणों, जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया गया था, के संबंध में किन्हीं निष्कर्षों को अभिलिखित करना अनावश्यक समझा ।

(v) उच्चतम न्यायालय के तारीख 11-12-1995 के निर्णय के अनुसरण में, सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा, ने मामले को 1951-अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को तारीख 16-2-1996 को निर्देशित किया है और प्रत्युत्तर में उन्होंने तारीख 4-3-1996 को उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन आयोग की राय मांगी है ।

(vi) यहां इस तथ्य की ओर ध्यान देना सुसंगत होगा कि श्री महाडिक ने, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लम्बित रहने के दौरान, फरवरी, 1995 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा का निर्वाचन उसी 48-नेहरू नगर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से पुनः लड़ा था । वे उक्त निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे और इस समय महाराष्ट्र विधान सभा के आसीन सदस्य हैं ।

3. ऐसे मामलों में आयोग की संगत पद्धति का पालन करते हुए, श्री महाडिक को आयोग द्वारा अपनी राय कायम करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था । इस प्रयोजन के लिए, तारीख 2-4-1996 को सुनवाई नियत की गई थी और श्री महाडिक को तारीख 26-3-1996 तक अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा गया था । उन्होंने इस आधार पर कि उच्चतम न्यायालय के तारीख 11-12-1995 के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी फाइल की है जिसे उस न्यायालय द्वारा दो सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने की संभावना है, अपना लिखित कथन फाइल करने के लिए दो सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया । उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और परिणामतः सुनवाई, जो तारीख 2-4-1996 के लिए नियत की गई थी, तारीख 16-4-1996 तक मुल्तवी कर दी गई ।

4. श्री महाडिक ने तारीख 5-4-1996 को अपना लिखित कथन भेजा जो आयोग को तारीख 9-4-1996 को प्राप्त हुआ । उन्हें यथा-नियत तारीख 16-4-1996 को आयोग की पूर्णपीठ द्वारा भी सुना गया था । उक्त सुनवाई में श्री वी०आर० भंडारे, विद्वान काउंसेल, द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था ।

5. आयोग ने श्री भंडारे के मौखिक निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । आयोग ने श्री महाडिक द्वारा किए गए लिखित निवेदनों का परिशीलन किया है और उनकी सावधानी-पूर्वक परीक्षा भी की है ।

6. श्री भंडारे ने आयोग को सूचित किया कि श्री महाडिक द्वारा फाइल की गई पुनर्विलोकन अर्जी उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च, 1996 के अंतिम सप्ताह में खारिज की जा चुकी है । उन्होंने तत्काल यह मान लिया कि 1951-अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन श्री महाडिक द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष अन्तिम हो गया है और यह कि वे उस पर आक्षेप नहीं कर सकते ।

7. आयोग ने, अन्यथा भी, संगत रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि 1951 अधिनियम की धारा 8क के अधीन कार्यवाहियों में न्यायालयों के निष्कर्षों को आयोग के समक्ष प्रश्नगत या उन पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आयोग के लिए उच्च न्यायालयों या शीर्षस्थ न्यायालय के निष्कर्षों के संबंध में निर्णय का आलोचक होने के समान होगा । आयोग न्यायालयों के ऐसे निष्कर्षों से उत्पन्न निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय निर्वाचन अर्जियों और निर्वाचन अपीलों में न्यायालयों के निष्कर्षों के पुनर्विलोकन की शक्तियां अनधिकार से नहीं अपना सकता ।

8. वर्तमान कार्यवाहियों में, आयोग से केवल दो प्रश्नों पर, अर्थात्, क्या श्री महाडिक को, जिन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, (i) निरर्हित किया जाए; और (ii) यदि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए, अपनी राय देने की अपेक्षा की गई है । 1951-अधिनियम की धारा 8क(1) के परंतुक के अधीन निरर्हता की ऐसी अवधि, उस तारीख से, जिसको उसके दोषी पाए जाने का न्यायालय का आदेश प्रभावी होता है, छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है । वर्तमान मामले में, ऐसी तारीख 11-12-1995, अर्थात्, वह तारीख होगी, जिसको उच्चतम न्यायालय ने अपना

अंतिम विनिश्चय किया और जिसके द्वारा तारीख 23-4-1991 के उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला तारीख 7-8-1991 का उसका पूर्वतर अंतरिम आदेश शामिल हो गया।

9. श्री गणेश यशवंत राव कनक राव की निरर्हता से संबंधित 1951—अधिनियम की धारा 8क के अधीन समरूप कार्यवाही (1994 का विशेष मामला सं० 1 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) में आयोग ने तारीख 16-5-1994 को राष्ट्रपति को दी गई अपनी राय में यह अभिव्यक्त किया था :

"उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते समय, आयोग का कृत्य किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति तथा गंभीरता और यह जांच करने तक सीमित है कि क्या ऐसी परिशमनकारी और कम करने वाली परिस्थितियां हैं, जो एक ओर तो बिल्कुल ही कोई निरर्हता अधिरोपित नहीं करने को न्यायोचित ठहराती हों या 1951—अधिनियम की धारा 8क(1) के परंतुक के अधीन यथाअनुज्ञेय छह वर्ष की अधिकतम अवधि से कम अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित करने को न्यायोचित ठहराती हो।"

10. इस प्रकार आयोग को वर्तमान कार्यवाहियों में भी, यही अवलोकन करना है कि क्या श्री महाडिक अपने पक्ष में कोई परिशमनकारी या कम करने वाली परिस्थिति दर्शित करने में समर्थ रहे हैं।

11. श्री महाडिक की ओर से विद्वान काउंसेल श्री भंडारे ने यह निवेदन किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री महाडिक को तारीख 11-2-1990 को सर्वेश्वर मन्दिर में भाषण देने के लिए 1951—अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के आधार पर ही दोषी पाया गया है और यह कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अन्य निष्कर्षों की अभिपुष्टि नहीं की है। उनके अनुसार, उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष श्री महाडिक के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि विधि के अधीन न्यायालय के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, किन्तु 1975 में यथास्थिति, धारा 8क के अधीन आयोग का यह दृष्टिकोण अपनाने का विवेकाधिकार है कि उक्त भ्रष्ट आचरण का परिणाम भावी निर्वाचनों के लिए श्री महाडिक की निरर्हता न हो। उन्होंने यह कथन किया कि श्री महाडिक द्वारा उल्लंघनकारी भाषण एक छोटी-सी भीड़, जहां 30-40 शिव सेना-कार्यकर्ता और केवल 10-15 अन्य व्यक्ति उपस्थित थे, के समक्ष किया गया था। इस प्रकार उन्होंने यह अभिवचन किया कि श्री महाडिक द्वारा किया गया भ्रष्ट आचरण अत्यधिक गंभीर प्रकृति का नहीं था और आयोग नम्र दृष्टिकोण अपना सकता है तथा श्री महाडिक पर कोई निरर्हता अधिरोपित नहीं कर सकता है।

12. आयोग, श्री महाडिक के विद्वान काउंसेल द्वारा किए गए इन निवेदनों से सहमत नहीं है, जिनमें आयोग से यह आग्रह किया गया था कि उन पर बिल्कुल ही कोई निरर्हता अधिरोपित न की जाए।

13. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि :

"उपरोक्त चर्चा यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि "अखंड हरिनाम सप्ताह" के धार्मिक उत्सव के दौरान सर्वेश्वर मन्दिर में तारीख 11-2-1990 को उस समय और उस स्थान पर हिन्दू भक्तों के समागम के समक्ष दिया गया अपीलार्थी का भाषण, स्पष्ट रूप से मतदाताओं से उनके धर्म के आधार पर की गई अपील थी, जो अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) के अधीन भ्रष्ट आचरण है।"

14. इस प्रकार, श्री महाडिक ने मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उनके धार्मिक उन्माद और जोश को भड़काया है जिससे उनके निष्पक्ष निर्णय, विवेकपूर्ण विचार और सही समझ को दूषित किया है और किसी अभ्यर्थी को उसके गुणों से भिन्न बातों पर विचार करके मत देने के लिए प्रेरित किया है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है कि ऐसे हानिकर आचरणों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अत्यधिक खतरनाक हैं, और हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व को जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे घृणित आचरणों में लिप्त व्यक्तियों से विधि के अधीन सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति दिखाई गई किसी नरमी से यह अभिप्रेत होगा कि उन भ्रष्ट आचरणों से, जो निर्वाचनों की शुद्धता को दूषित करते हैं, समझौता किया जा रहा है।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक को ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

16. इस प्रकार ऊपर उल्लिखित पहले प्रश्न का समाधान तदनुसार किया जाता है।

17. दूसरा प्रश्न यह है कि श्री महाडिक को कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए। इसका उत्तर श्री महाडिक के पक्ष में कम करने वाली या परिशमनकारी परिस्थितियों, यदि कोई हों, पर निर्भर करेगा।

18. परिशमनकारी और कम करने वाली परिस्थितियों के लिए अभिवचन करते हुए श्री भंडारे ने यह निवेदन किया है कि श्री महाडिक ने फरवरी, 1990 से अप्रैल, 1991 तक लगभग केवल एक वर्ष के लिए ही नियमित विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया और उच्च न्यायालय के 23-4-1991 के निर्णय के पश्चात् वे केवल नाम के ही विधान सभा सदस्य थे, क्योंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए विधान सभा सदस्य को अनुज्ञेय सभी वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कथित किया कि श्री महाडिक महाराष्ट्र विधान सभा के 1995 के साधारण निर्वाचन में पुनः निर्वाचित हुए हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि वे निर्वाचकमंडल में लोकप्रिय हैं। उन्होंने आयोग से श्री महाडिक की युवावस्था और इस तथ्य को भी ध्यान में रखने का आग्रह किया कि वे ट्रेड यूनियन के नेता हैं न कि मजे हुए राजनीतिज्ञ। उन्होंने आयोग से यह भी अभिवचन किया कि वह श्री महाडिक के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाए क्योंकि वे प्रथम बार ही भ्रष्ट आचरण करने के दोषी पाए गए हैं। उन्होंने आयोग से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360, धारा 361 और धारा 428 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में निरूपित सिद्धान्तों को लागू करने का आग्रह किया, जिनके अधीन न्यायालय अपराधियों को प्रथम दोषसिद्धि पर सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् या उसके द्वारा पहले ही भोगे गए दंड को ध्यान में रखते हुए छोड़ देता है।

19. आयोग, श्री भंडारे के उपरोक्त किसी भी निवेदन से सहमत होने में स्वयं को असमर्थ पाता है। आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री महाडिक के पक्ष में ऐसी कोई परिशमनकारी या कम करने वाली परिस्थिति नहीं है जो छह वर्ष से कम अवधि की निरर्हता अधिरोपित करने को न्यायोचित ठहरा सके। श्री भंडारे की शिकायत है कि श्री महाडिक विधान सभा सदस्य के रूप में फरवरी, 1990 से अप्रैल, 1991 तक लगभग एक वर्ष कार्य कर सके। किंतु वे आसानी से यह भूल जाते हैं कि श्री महाडिक ने फरवरी, 1990 के निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण किया था, जिसके फलस्वरूप उनका निर्वाचन आरंभ से ही शून्य हो गया था, फिर भी वे एक वर्ष से अधिक तक नियमित रूप से विधान सभा के सदस्य रहे और वस्तुतः वे उसके पश्चात् भी, महाराष्ट्र विधान सभा का 1995 में विघटन होने तक, विधान सभा का सदस्य बने रहें। वे पुनः इस अति महत्वपूर्ण तथ्य को भूल रहे हैं कि श्री महाडिक अप्रैल, 1991 में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें भ्रष्ट आचरण किए जाने का दोषी पाए जाने के बावजूद फरवरी, 1995 से आज तक नियमित रूप में विधान सभा के सदस्य बने हुए हैं। ऐसा केवल विधि की कार्य-पद्धति

के कारण है कि वे एक ऐसी प्रास्थिति और हैसियत का उपभोग कर रहे हैं, जिसके लिए वे अन्यथा हकदार नहीं होते, यदि उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश पर रोक न लगता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360, धारा 361 और धारा 428 तथा परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 के उपबंध, जिन पर अंतारे ने निर्भर किया, 1951–अधिनियम की धारा 8क के अधीन वर्तमान कार्यवाहियों में लागू नहीं होते हैं। यह अभिवाक् भी कि श्री महाडिक एक युवा व्यक्ति हैं और ट्रेड यूनियन के नेता हैं, प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे भ्रष्ट आचरण करने में लिप्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जो हमारे देश के पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक संरचना की नींव को ही खोखला कर दे।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग की यह सुविचारित राय है, और तद्नुसार वह यह अभिनिर्धारित करता है कि श्री सूर्यकान्त वेंकटराव महाडिक को, ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनकी निरर्हता उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात् 11-12-1995 से छह वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बनी रहनी चाहिए, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित है।

21. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ उन्हें लौटाया जाता है।

ह./-	ह./-	ह./-
(जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति)	(टी.एन. शेषन)	(एम.एस. गिल)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,

तारीख 17 अप्रैल, 1996

(फा.सं. 7 (17)/96-वि.-2)

पी.एस. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1996

S.O. 356(E).—The following order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas the election of Shri Suryakant Venkatrao Mahadik (hereinafter referred to as the 'returned candidate') from 48-Nehru Nagar Assembly Constituency in the State of Maharashtra at the general election held in February, 1990, was set aside by the High Court of Bombay on 23rd April, 1991 on the ground of commission by the returned candidate of corrupt practices specified in clauses (3) and (3A) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act").:

Whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court by an interim order dated 7th August, 1991 granted a conditional stay of the High Court's order on 23rd April, 1991;

And whereas the Supreme Court dismissed the appeal on 11th December, 1995;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act, on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that returned candidate should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above, for a period of six years to be recokned from 11th December, 1995 i.e. the date of the Order of the Supreme Court;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act, do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 11th December, 1995.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM :

G.V.G. KRISHNAMURTY
ELECTION COMMISSIONER

T. N. SESHAN
CHIEF ELECTION COMMISSIONER

DR. M. S. GILL
ELECTION COMMISSIONER

Reference case No. 2 (RPA) of 1996

(Reference from the President of India under Section 8A(3) read with 8A(1) of the Representation of the People Act, 19951.).

In re : Disqualification of Shri Suryakant Venkttrao Mahadik, member of the Maharashtra Legislative Assembly.

OPINION

In this reference from the President of India under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951 (for short '1951—Act'), the

opinion of the Election Commission has been sought on the question whether Shri Suryakant Venkatrao Madhadik, a member of the Maharashtra Legislative Assembly, should be disqualified and, if so, for what period, under Section 8A(1) of the said Act.

2. The relevant facts, briefly, stated, are as follows :—

(i) Shri Suryakant Venkatrao Mahadik was elected to the Maharashtra Legislative Assembly from 48-Nehru Nagar Assembly Constituency at the general election held in February, 1990.

(ii) His election was challenged by one of the rival candidates Smt. Saroj Sandesh Naik (Bhosale) before the Bombay High Court in Election Petition No. 14 of 1990. The Bombay High Court, by its judgment and order dated 23-04-1991, found Shri Mahadik guilty of corrupt practices under Sections 123(3) and 123(3A) of the 1951-Act, for making appeal on the ground of religion and inciting feeling of enmity and hatred between different classes of citizens of India. Consequently, the High Court set aside the election of Shri Mahadtk.

(iii) On appeal, the Supreme Court, by its interim order dated 07-08-1991 in Civil Appeal No. 2453 of 1991, granted a qualified stay of the order of the High Court in the following terms :—

> (We) direct that pending appeal before this Court, the appellant shall be permitted to sign the attendance register so that he may not be disqualified under the Rules of the House for being absent for continuous 60 days when the House is in session but he would not be permitted to participate in the proceedings of the legislature nor he would be permitted to vote and would not be entitled to any remuneration as member.".

(iv) The Supreme Court, by its final order dated 11-12-1995, dismissed the appeal of Shri Mahadik. The Supreme Court went only into the question of corrupt practice under Section 123(3) of making an appeal on the ground of religion and considered it unnecessary to record any findings on the remaining points and the other corrupt practices alleged against Shri Mahadik and which had been proved before the High Court.

(v) In pursuance of the Supreme Court's Judgment dated 11-12-1995, the Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly has referred the matter to the President of India on 16-2-1996 under Section 8A(1) of the 1951-Act and he, in turn, has sought the Commission's opinion under Section 8A(3) of the said Act on 4-3-1996.

(vi) It may be relevant here to take note of the fact that during the pendency of the appeal before the Supreme Court, Shri Mahadik again contested election to the Maharashtra Legislative Assembly from the same 48 Nehru Nagar Assembly Constituency held in February, 1995. He was elected at the said election and is now a sitting member of the Maharashtra Legislative Assembly.

3. In keeping with the Commission's consistent practice in such cases, Shri Mahadik was afforded an opportunity of personal hearing, before the Commission formulated its opinion. For this purpose, a hearing was fixed on 02-04-1996 and Shri Mahadik was asked to file his written statement by 26-03-1996. He requested for extension of time for filing his written statement by two weeks on the ground that he had filed a review petition against the order dated 11-12-1995 of the Supreme Court which was likely to be taken for hearing by that Court within two weeks. His request was granted and consequently the hearing which scheduled to be held on 02-04-1996 was postponed to 16-04-1996.

4. Shri Mahadik sent his written statement on 05-04-1996 which was received in the Commission on 09-04-1996. He was also heard by the full Commission on 16-04-1996, as scheduled. He was represented by Shri V. R. Bhandare, learned Counsel, at the said hearing.

5. The Commission has carefully considered the oral submissions of Shri Bhandare. The Commission has also perused and carefully examined the written submissions made by Shri Mahadik.

6. Shri Bhandare informed the Commission that the review petition filed by Shri Mahadik had since been dismissed by the Supreme Court in the last week of March, 1996. He straightaway con- with that the finding given by the Supreme Court with regard to the commission of corrupt practice by Shri Mahadik under Section 123(3) of 1961-Act had become final and that he could not question the same.

7. Otherwise also, the Commission has consistently taken the view that the findings of the Courts cannot be questioned or assailed before the Commission in the proceedings under Section 8A of the 19951-Act as that would tantamount to the

Commission sitting in judgment over the findings of the High Courts or the Apex Court. The Commission cannot arrogate to itself the powers of the review of findings of the Courts in election petitions and election appeals, while considering the question of disqualification arising out of such findings of the Courts.

8. In the present proceedings, the Commission is called upon to tender its opinion only on two questions, namely, whether Shri Mahadik who has been found guilty of corrupt practice by the High Court and the Supreme Court, (i) should be dis-proviso to section 8A(1) of the 1951-Act, such period of disqualification cannot exceed six years from the date on which the order of the Court finding him guilty takes effect. In the present case such date will be 11-12-1995, i.e., the date on which the Supreme Court gave its final decision and whereby its earler interim order dated 07-08-1991, staying the operation of the High Court's order dated 23-04-1991, stood vacated.

9. In a similar proceeding under Section 8A of the 1951-Act relating to disqualification of Shri Gadakh Yashwant Rao Kankarrao [Reference case No. 1 (RPA) of 1994], the Commission in its opinion dated 16-05-1994 to the President observed :

> "While considering the above questions, the Commission's function is limited to look into the nature and gravity of the corrupt practice committed and whether there is any extenuating and mitigating circumstances which may justify either the imposition of no disqualification at all, as one extreme, or the imposition of disqualification for a period lesser than the maximum period of six years as permissible under the proviso to section 8A(1) of 1951-Act."

10. In the present proceedings also, the Commission has thus to see whether Shri Mahadik has been able to show any extenuating or mitigating circumstance in his favour.

11. Shri Bhandare, learned Counsel for Shri Mahadik, submitted that Shri Mahadik had been found guilty by the Supreme Court only on the ground of commission of corrupt practice under section 123(3) of the 1951-Act for making a speech at the Sarveshwar Mandir on 11-02-1990 and that the Supreme Court had not affirmed other findings of the High Court. According to him the above finding of the Supreme Court was sufficient to set aside the election of Shri Mahadik as the Court had no other option under the law, but the Commission had the discretion under Section 8A, as amended in 1975, to take the view that the said corrupt practice may not result in the disqualification of Shri Mahadik for future elections. He stated that the offending speech was made by Shri Mahadik at a small gathering where 30 to 40 Shiv Sena workers and only 10 to 15 others were present. He thus pleaded that the corrupt practice committed by Shri Mahadak was not of a very serious nature and the Commission may take a lenient view and may not impose any disqualification on Shri Mahadik.

12. The Commission is not persuaded by the submissions made by the learned Counsel of Shri Mahadik urging the Commission that no disqualification be imposed on him at all.

13. The Supreme Court has categorically held that :

> "The above discussion is sufficient to indicate that the speech of the appellant on 11-2-1990 in Sarveshwar Mandir during the religious festival of 'Akhand Harinam Saptah' to the congregation of Hindu devotees at the time and place was clearly an appeal to the voters on the ground of his religion which amounts to a corrupt practice under sub-section (3) of section 123 of the Act."

14. Shri Mahadik has thus played upon the religious sentiments of the voters and aroused their religious passions and fervours which blur their dispassionate judgment, rational thinking and right perceptions and motivate them to vote for a candidate on considerations other than his merit. There cannot be two opinions that such pernicious practices cannot be countenanced with, as the same are highly dangerous and can threaten the very survival of our democracy. Persons indulging in such nefarious practices must be severely dealt with under the law as any leniency shown to them would mean compromising with those corrupt practices which sully the purity of elections.

15. Having regard to the above, the Commission is of the considered opinion that Shri Suryakant Venkatrao Mahadik should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above.

16. The first question mentioned above is thus answered accordingly.

17. The second question is for what period should Shri Mahadik be disqualified. The answer thereto would depend upon the mitigating or extenuating circumstances, if any, in favour of Shri Mahadik.

18. Pleading as such extenuating and mitigating circumstances, Shri Bhandare has submitted that Shri Mahadik functioned as a full-fledged MLA only for about one year from February, 1990 to April, 1991 and after the High Court's judgment

on 23-04-1991 he was an MLA only in name as all salary, allowances and other perquisites admissible to an MLA were denied to him in view of the Supreme Court's interim order. He further stated that Shri Mahadik had been re-elected at the 1995-general election to the Maharashtra Legislative Assembly which showed that he enjoyed popularity among the electorate. He also urged the Commission to keep in view the young age of Shri Mahadik and also the fact that he was a trade union leader but not a seasoned politician. He also pleaded with the Commission to take a lenient view as this was the first time that Shri Mahadik had been found guilty of corrupt practice. He urged the Commission to apply the principles enunciated in Sections 360, 361 and 428 of the Criminal Procedure Code, 1973 and the Probation of Offenders Act, 1958, whereunder the Courts let-off the offenders on first conviction on probation of good conduct or after admonition or by taking into account the punishment already undergone.

19. The Commission finds itself unable to be persuaded by any of the above submissions of Shri Bhandare. In the Commission's considered opinion, there are no extenuating or mitigating circumstances in favour of Shri Mahadik which may justify the imposition of disqualification for a period of less than 6 years. The grievance of Shri Bhandare is that Shri Mahadik could function as an MLA for about one year from February, 1990 to April, 1991. But he conveniently forgets that Shri Mahadik committed the corrupt practice at he election in February, 1990 which rendered his election void ab initio and he yet he enjoyed as a full-fledged MLA for more than a year and even thereafter remained, in fact, an MLA till the dissolution of the Maharashtra Legislative Assembly in 1995. He is again forgetting a very vital fact that Shri Mahadik has once again been enjoying as a full-fledged MLA from February, 1995 till this date, despite his having been found guilty of corrupt practice by the High Court in April, 1991. It is only because of technicality of law that he has been enjoying a status and position to which he otherwise would not have been entitled to, had there been no stay of the judgment and order of the High Court pending his appeal before the Supreme Court. The provisions of sections 360, 361 and 428 of the Criminal Procedure Code or of the Probation of Offenders Act, 1958, on which Shri Bhandare relied, have no application to the present proceedings under Section 8A of the 1951 Act. The plea that Shri Mahadik is a young man and a trade unionist also cuts no ice, as no one can be permitted to indulge in the commission of corrupt practices which cut at the very foundation of secular and democratic structure of our country.

20. In view of the above, the Commission is of the considered opinion, and accordingly holds, that Shri Suryakant Venkatrao Mahadik should be disqualified under section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 for having committed the corrupt practice mentioned above. Further, his disqualification should run for the maximum period of six years from the date of the order of the Supreme Court, namely, 11-12-1995, as provided under the proviso to sub-section (1) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

21. The reference received from the President is returned to him with the Commission's opinion to the above effect.

Sd/-

(G. V. G. KRISHNAMURTY),
Election Commissioner

Sd/-

(T. N. SESHAN),
Chief Election Commissioner

Sd/-

(M. S. GILL),
Election Commissioner

New Delhi :
Dated : 17th April, 1996.

[F. No. 7(19)/96-Leg. II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996